MR. CHAIRMAN: You have put your question. Let him reply. ...*(Interruptions)*...

श्री विलास मुत्तेमवारः सभापति जी, जम्मू और कश्मीर में solar photovoltaic से घरों को बिजली देने का कार्यक्रम अभी चल रहा है। जो इन्होंने संयंत्र लगाने की बात कही है, राज्य सरकार की तरफ से अगर हमारे पास ऐसा प्रस्ताव आता है तो जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां ...(**व्यवधान**)...

प्रो० सैफुद्दीन सोजः आप प्रस्ताव का क्यों इंतेजार करेंगे ...(**व्यवधान**)...

پروفیسر سیف الدین سوز: آپ پرستاؤ کا کیوں انتظار کریں گے؟ .....مداخلت.....

MR. CHAIRMAN: Do not disturb him. ...*(Interruptions)*...

श्री विलास मुत्तेमवारः उन्हीं को करना पड़ता है ...(**व्यवधान**)...

प्रो० सैफुद्दीन सोजः नोडल एजेंसी तो स्टेट गवर्नमेंट है ...(**व्यवधान**)...

پروفیسر سیف الدین سوز: نادل ایجنسی تو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے۔ .....مداخلت.....

MR. CHAIRMAN: Prof. Soz, please do not disturb him.
PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Kindly show the gesture. ...*(Interruptions)*...

श्री विलास मुत्तेमवारः मैंने बताया है कि अगर आ जाता है तो हम उस पर ...(**व्यवधान**)...

प्रो० सैफुद्दीन सोजः आप कहिए कि आप तैयार हैं।

پروفیسر سیف الدین سوز: آپ کہئے کہ آپ تیار ہیں۔

श्री विलास मुत्तेमवारः हां, हम तैयार हैं।

ग्रामीण पेय-जल योजना हेतु आवंटन

*205. **श्री कलराज मिश्रः** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में आवंटित की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत निधियों आवंटित करते समय अपनाये जाने वाले मानकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों द्वारा उक्त निधियों का ठीक तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

†Transliteralion in Urdu script.

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित किए जाने हेतु कोई सतर्कता समूह गठित करने पर विचार कर रही है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटलपर रख दिया गय है।

विवरण

(क)भारत सरकार केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना चलाती है, जिसका नाम त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) है, इसके माध्यम से राज्यों को ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। चालू वित्तीय वर्ष में एआरडब्ल्यूएसपी के विभिन्न घटकों के अन्तर्गत आवंटित निधियों राज्य-वार ब्यौरे विवरण में दिए गए है। (नीचे देखिए)

(ख)एआरडब्ल्यूएसपी (सामान्य) तथा एआरडब्ल्यूएसपी (स्वजलधारा) के अंतर्गत राज्यों को, निर्धारित मानदण्डों के आधार पर, निधियां आबंटित की जाती हैं जिसमें निम्नलिखित तरीके से विभिन्न मानदण्डों को महत्व दिया जाता है:-

	निम्न को महत्व	**प्रतिशत** (%)
(क)	ग्रामीण आबादी	40
(ख)	डीडीपी, डीपीएपी, एचएडीपी के अंतर्गत आने वाले राज्य तथा ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में विशेष क्षेणी वाले पर्वतीय राज्य	35
(ग)	कवर न किए गए/आंशिक रूप से कवर किए गए गांव (2 : 1 अनुपात में)	15
(घ)	गुणवत्ता प्रभावित गांव	10
	कुल	100

एआरडब्ल्यूएसपी (डीडीपी) निधियां मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) के अंतर्गत कवर किए गए क्षेत्रों में ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए है। डीडीपी के अंतर्गत कवर किए गए क्षेत्र इन सात राज्यों में हैं – आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक तथा राजस्थान। एआरडब्ल्यूएसपी (डीडीपी) निधियों का अंतर-राज्य आबंटन राज्य के डीडीपी क्षेत्रों में मौजूद बिना सुरक्षित स्रोत वाली बसावटों की संख्या के अनुपात में निर्धरित किया जाता है।

(ग) जी नहीं। तथापि, राज्य कभी-कभी उसी वित्तीय वर्ष में आबंटित धनराशि का पूरी तरह उपयोग नहीं कर पाते है।

(घ) भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रम जिसमें ग्रामीण पेयजल आपूर्ति से संबंधित कार्यक्रम शामिल हैं, के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी के लिए राज्य/जिला स्तर पर फिर से सतर्कता एवं निगरानी समितियां गठित करने के दिशा-निर्देश अक्टूबर, 2004 में जारी किए हैं। राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की अध्यक्षता संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री करते है, जिसमें अन्य के साथ-साथ लोक सभा के चार सदस्य, राज्य सभा के एक सदस्य और पांच विधायक सदस्य के रूप में होते हैं। जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की अध्यक्षता जिले से निर्वाचित एक संसद सदस्य करता है और उस जिले के संसद सदस्य और विधायक इसमें सदस्य के रूप में शामिल होते हैं।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी आवधिक निष्पादन समीक्षा, आवधिक प्रगति रिपोर्टो/विवरणियों, उपयोग प्रमाण-पत्रों/आडित रिपोर्टो, राष्ट्र स्तरीय निगरानीकार्ताओं और मंत्रालय के क्षेत्र अधिकारियों के दौरों के माध्यम से भी की जा रही है। इसके अलावा, स्वजलधारा की भी निगरानी जिला स्तरीय निगरानीकर्ताओं द्वारा की जा रही है जो कि सरकारी तंत्र से अलग स्वतंत्र एजेंसियां हैं।

विवरण-1

एआरडब्ल्यूएसपी (सामान्य डीडीपीस्वजलधारा) के विभिन्न घटकों के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष (2005-06) में किए गए आबंटन

(लाख रु०में)

क्र०सं०	**राज्य का नाम**	2005-06 **के दौरान आबंटन**
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	24077.35
2.	बिहार	17556.74
3.	छत्तीसगढ़	5904.97
4.	गोवा	221.05
5.	गुजरात	13968.73
6.	हरियाणा	4101.69
7.	हिमाचल प्रदेश	11855.82

1	2	3
8.	जम्मू व कश्मीर	22973.60
9.	झारखण्ड	6334.61
10.	कर्नाटक	19808.99
11.	केरल	6170.65
12.	मध्य प्रदेश	17301.27
13.	महाराष्ट्र	31610.88
14.	उडीसा	14212.40
15.	पंजाब	4172.53
16.	राजस्थान	48614.72
17.	तमिलनाडु	13605.13
18.	उत्तर प्रदेश	28372.10
19.	उत्तरांचल	6559.12
20.	प० बंगाल	15246.90
21.	अं० निको० द्वीप समूह	34.38
22.	चंडीगढ़	0.00
23.	दादर व नगर हवेली	22.92
24.	दमन व दीव	0.00
25.	दिल्ली	17.19
26.	लक्षद्वीप	0.00
27.	पांडिचेरी	17.19
28.	अरूणाचल प्रदेश	9993.61
29.	असम	16851.29
30.	मणिपुर	3430.93
31.	मेघालय	3949.77
32.	मिजोरम	2831.58
33.	नागालैंड	2907.91
34.	सिक्किम	1195.53
35.	त्रिपुरा	3503.10
	कुलः	357424.65

Allocation for rural drinking water plan

†*205. SHRI KALRAJ MISHRA: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the State-wise details of the funds allocated in the current financial year under the rural drinking water scheme;

(b) the details of norms adopted while allocating funds under the said scheme;

(c) whether it is a fact that these funds are not being used properly by some States; and

(d) if so, whether the Government are considering to constitute any vigilance group to ensure proper utilization thereof?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI RAGHUVANSH PRASAD SINGH) (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Government of India administers a Centrally-sponsored scheme, namely Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP), through which financial assistance is rendered to the States for rural drinking water supply. The State-wise details of funds allocated under various components of ARWSP in the current financial year is given in the Statement. (See Below)

(b) Under ARWSP (Normal) and ARWSP (Swajaldhara) funds are allocated to the States based on a laid down criterion, which gives weightage to the various parameters in the following manner:—

	Weightage for	**Percentage (%)**
(a)	Rural Population	40
(b)	States under DDP, DPAP, HADP & special category	
(c)	hill States in terms of rural areas	35
(d)	Not Covered/Partially Covered villages (at 2:1 ratio)	15
	Quality affected villages	10
	TOTAL:	100

†Original notice of the question was received in Hindi.

ARWSP (OOP) funds are meant for Rural Water Supply in the areas covered under Desert Development Programme (DDP). The areas covered under DDP are in seven States—Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Karnataka and Rajasthan. The inter-State allocation of ARWSP (DDP) funds is determined in proportion to the number of no-safe-source habitations existing in the DDP areas of the State.

(c) No, Sir. However, States sometimes are not able to fully utilize the allocated funds within the same financial year.

(d) Government of India have issued guidelines in October, 2004 reconstituting Vigilance and Monitoring Committees at State/District level for effective monitoring of the implementation of Programme of Ministry of Rural Development including those relating to rural drinking water supply. The State level Vigilance and Monitoring Committees are headed by the Minister, Rural Development of the concerned State with, *inter-alia,* four Lok Sabha MPs, one Rajya Sabha MP and five MLAs as members. The District level Vigilance & Monitoring Committees are headed by a Member of Parliament elected from the District and includes, *inter-alia,* MPs, MLAs of the district as members.

The implementation is also being monitored through periodic performance review, periodic progress reports/returns, Utilization Certificates/Audit Reports, visits by National Level Monitors and Area Officers of the Ministry. Besides, Swajaldhara is also being monitored through District Level Monitors who are independent agencies from outside the Government system.

Statemmt-I

Allocation made in the current financial year (2005-06) *under various components of ARWSP (Normal+DDP+Swajaldhara)*

SI.No.	Name of State	Allocation during 2005-06 (Rs. in Lakh)
1	2	3
1	Andhra Pradesh	24077.35
2	Bihar	17556.74
3	Chhattisgarh	5904.97

1	2	3
4	Goa	221.05
5	Gujarat	13968.73
6	Haryana	4101.69
7	Himachal Pradesh	11855.82
8	J&K	22973.60
9	Jharkhand	6334.61
10	Karnataka	19808.99
11	Kerala	6170.65
12	Madhya Pradesh	17301.27
13	Maharashtra	31610.88
14	Orissa	14212.40
15	Punjab	4172.53
16	Rajasthan	48614.72
17	Tamil Nadu	13605.13
18	UttarPradesh	28372.10
19	Uttaranchal	6559.12
20	West Bengal	15246.90
21	A & N Islands	34.38
22	Chandigarh	0.00
23	D & N Haveli	22.92
24	Daman & Diu	0.00
25	Delhi	17.19
26	Lakshadweep	0.00
27	Pondicherry	17.19
28	Arunachal Pradesh	9993.61
29	Assam	16851.29
30	Manipur	3430.93

1	2	3
31	Meghalaya	3949.77
32	Mizoram	2831.58
33	Nagaland	2907.91
34	Sikkim	1195.53
35	Tripura	3503.10
	TOTAL:	357424.65

श्री कलराज मिश्रः सभापति जी, मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि भारत सरकार, केन्द्र द्वारा प्रयोजित एक योजना चलाती है, जिसका नाम त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम है। इसके माध्यम से राज्यों को निधियों का आवंटन होता है। मान्यवर, इस योजना के चालू होने के बावजूद भी कई प्रदेश एसे हैं, जिन प्रदेशों में आज भी कई किलोमीटर जाकर लोग पानी लेकर आते हैं। उदाहरण के तौर पर राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, गुजरात भी है, ऐसे क्षेत्र हैं। तो क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर इस विषय पर ध्यान देते हुए अलग से धन के आवंटन की कोई व्यवस्था कर सकती है?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंहः सभापति महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव और कहना ठीक है कि हमारे देश में कुछ राज्यों में, कुछ habitations, करीब 69,000 habitations, ऐसे हैं, जहां पर करीब 5,920 habitations, में not covered areas हैं, यानी वहां per capital 10 लीटर से कम पानी उपलब्ध हैं, जहां 10 लीटर और 40 लीटर के बीच में पानी उपलब्ध है, ऐसे habitations की संख्या 69,000 है। इस तरह 74,000 ऐसे habitations हैं, जो not covered हैं, अथवा partially covered, है। माननीय सदस्य को याद होगा कि हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि 69,000 गांवों को fully covered, यानी पूरा पानी पहुंचाने के लिए हम 4 वर्षो के अंदर भारत निर्माण योजना चलाएंगे और इसके अंतर्गत पर्याप्त राशि का प्रबंध किया गया है, जिससे सभी को शुद्ध पानी पहुंचाया जा सके, लेकिन विभाग ने तय किया है कि 2 वर्षो के अंदर ही 69,000 habitations जो covered अथव partially covered हैं, उनके लिए पीने के पानी का प्रबंध किया जाएगा और शुद्ध पानी का प्रबंध किया जाएगा।

श्री कलराज मिश्रः मान्यवर, घोषणाएं की गई हैं, अच्छा है, यदि उनको ठीक से कार्यान्वित किया जाए, तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं यह कहना चहता हूं कि कुछ सृजित परिसंपत्तियां हैं, जैसे आपने पानी देने के लिए हैंड पंप और पाइप आदि लगाए, और भी इस तरह की योजनाएं बनाकर शुद्ध

जल लोगों को देने के लिए व्यवस्था की, तो ऐसी संपत्तियों के रख-रखाव के लिए वार्षिक बजट क्या हैं?साथ ही साथ जो covered area है, उसके समुचित रख-रखाव की व्यवस्था क्या है और पेयजल से वह वंचित न रह जाए, इसकी व्यवस्था क्या है? साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जो दसवीं योजना के अंतर्गत 13,245 करोड़ रुपया का परिव्यय था, उसमें से कितना धन खर्च हुआ है? पिछले बजट के अंतर्गत भी इसके लिए जो आवंटन था, उसमें से कितना व्यय हुआ है? यह रख-रखाव की दृष्टि से और उसको आगे बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसका जवाब दीजिए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंहः महोदय, माननीय सदस्य ने यह जो एआरडब्यू स्कीम का जिक्र किया हैं, उसमें अवैलेबिलिटी ऑफ वॉटर, सस्टेनैबिलिटी ऑफ वॉटर का प्रावधान ऑलरेडी है।

श्री सभापतिः आप यह बता दीजिए कि आप दो वर्ष में सबको पानी पिला देंगे न।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंहः महोदय, शुद्ध पानी पिलाने का हमारा दायित्व है। ...(**व्यवधान**)...

श्री कलराज मिश्रः लेकिन, मान्यवर, ऐसा हो नहीं पाता है ...(**व्यवधान**)...

यह प्रश्न इसलिए पूछा गया है ...(**व्यवधान**)... इसमें कठिनाइयाँ आ रही हैं।

श्री सभापतिः वे कठिनाइयाँ तो हैं ही, वित्तीय कठिनाइयाँ भी हैं। मंत्री महोदय कह रहे हैं कि दो वर्ष में आप सबको पानी पिला दूँगा। आपको आपत्ति है क्या? ...(**व्यवधान**)...

श्री विक्रम वर्मा : अभी तो बिहार की जनता ने इनको पानी पिला दिया ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः आप ही पानी के लिए क्वैश्चन कर रहे थ...(**व्यवधान**)... अब हो गया ...(**व्यवधान**)... कौन सा क्वैश्चन ...(**व्यवधान**)...

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, Swajaldhara issue is very important.

MR. CHAIRMAN: Regarding water? उसके बारे में इन्होंने सफिशिएंट जवाब दे दिया ...(**व्यवधान**)...

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, there are many problems.

MR. CHAIRMAN: Problems are there, no doubt.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, I will be very brief.

श्री सभापतिः पानी के बारे में मंत्री महोदय एश्योरेंस दें, तो ...(**व्यवधान**)...

श्री मूल चन्द मीणाः सर, राजस्थान में पानी की विशेष समस्या है ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः आपके राजस्थान में तो यह नहीं है। आपकी कंस्टीच्युएंसी में भी यह समस्या नहीं है। ...(**व्यवधान**)... चलिए, चलिए।

Soldiers killed while fighting terrorists

*206. SHRI DHARAM PAL SABHARWAL: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) the number of soldiers who laid down their lives while fighting against terrorists during the last three years;

(b) whether Government are taking any appropriate steps to check such terrorist attacks; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Number of soldiers who laid down their lives while fighting against terrorists during the last thrae years is as follows:

Year	Officers	Junior Commissioned Officers	Other Ranks	Total
2002	23	20	211	254
2003	23	24	194	241
2004	15	9	163	187
2005 (till 28th November, 2005)	11	9	112	132

The current multi pronged Counter Proxy War strategy adopted by the Army imcorporates an integrated dynamic counter infiltration posture, relentless operations in the hinterland and winning the hearts and minds